FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF AADARSH INFRAMAX DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of corporate debtor	**Aadarsh Inframax Developers Private Limited**
2	Date of incorporation of corporate debtor	15-06-2016
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	RoC – Jaipur
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U70200RJ2016PTC055239
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	698, Vijay Path, Devi Nagar, New Sanganer Road, Jaipur – 302019 Rajasthan Meadows villas, Khasra No. 811, 952, 957, 958, 959, 959/1493, Village - Lohagarh, Distt.-Ajmer (Raj.) 305004
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	13-01-2023 (The order was uploaded on the portal of NCLT on 17-01-2023)
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	12-07-2023
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Vikas Rajvanshi Reg No. IBBI/IPA-001/IP-P01886-C01/2016-2017/10032 AFA No.: AA1/10032/02/240623/104364, valid upto 24-06-2023
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: H-15, Chitranjan Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan, 302001 Mail ID: vikasrajvanshi.jaipur@gmail.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: H-15, Chitranjan Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan, 302001 Mail ID: cirp.aadarshinfra8@gmail.com
11	Last date for submission of claims	**January 31, 2023**
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es): Not Applicable
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	(a) Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (b) Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Jaipur Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Aadarsh Inframax Developers Private Limited on 13-01-2023.

The creditors of Aadarsh Inframax Developers Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 31-01-2023 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class [financial creditors in a class] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-

Vikas Rajvanshi

(Interim Resolution Professional)

Aadarsh Inframax Developers Private Limited

Date: 17-01-2023

Place: Jaipur

Vikas Rajvanshi Reg. No. IBBI/IPA-001 /IP-P01886-C01 /2016-17/10032 Insolvency Professional

बालिका से दरिंदगी के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल

■ 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

भीलवाड़ा, 17 जनवरी (मुकेश राठौ) : तीन साल की अबोध बालिका के साथ दरिंदगी करने वाले ट्रक चालक हनुमान उर्फ बापू (39) पुत्र कृष्णाराम मेघवाल को मंगलवार को अंतिम सांस तक (नेसर्गिक जीवन शेष अवधि तक) जेल की सजा सुनाई गई।

उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला, पॉक्सो कोर्ट (एक) के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह नागर ने सुनाया है। अभियोजन पक्ष ने हनुमान पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 40 गवाहों के बयान कराते हुए 44 दस्तावेज पेश किए। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि आरोपी हनुमान मूलरूप से नागौर जिले के रोहिंडी निवासी है, जो घटना के वक्त भीलवाड़ा शहर के भीतरी इलाके में रह रहा था। 39 साल का हनुमान पेशे से ट्रक ड्राइवर है, जो घटना से 1 महीने पहले ही किराए के मकान में आया था। 20 फरवरी 2022 की शाम 3 साल की मासूम बालिका को बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया और दरिंदगी की।

हनुमान का कृत्य समाज व मानवता के विरुद्ध अत्यंत गंभीर अपराध : न्यायालय

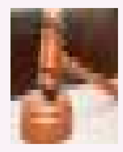

फैसले में न्यायालय ने टिप्पणी की कि समाज में बलात्कार जैसे अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे भारतीय समाज में महिलाओं व बालिकाओं की अस्मत की सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। नाबालिग के साथ यह अपराध एक गंभीर अपराध है। इससे समाज की अन्त: चेतना व सामाजिक शांति प्रतिकूलत: प्रभावित होती है। वर्तमान में बालकों के साथ बलात्कार व यौन अपराध की घटनाओं में वृद्धि होने से सामाजिक परिवेश में महिला एवं बालिकाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसे अपराधियों को त्वरित गति से उचित दंड नहीं मिलने से उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि अपराधियों के मन में इस प्रकार के आपराधिक कृत्य के परिणाम (दंड) का भय बना रहे।

सूने घर से 8 लाख के आभूषण व नकदी चोरी

भीलवाड़ा, 17 जनवरी (मुकेश राठौ) : तिलकनगर स्थित पत्रकार कॉलोनी पिछले कुछ दिन से चोरों के निशाने पर है। एक पत्रकार के घर के ताले तोड़कर चोर 8 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चुरा ले गए, जबकि पास ही एक निर्माणाधीन मकान से सरिए भी ले उड़े।

एक अन्य वारदात को अंजाम देने आए चोर जागने से भाग छूटे। पत्रकार कॉलोनी निवासी पत्रकार पवन गर्ग गत 14 तारीख को मेहरू कला में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कल रात लौटे तो घर के ताले टूटे हुए मिले और लॉकर में रखे दस तोले सोने के आभूषण, आधा किलो चांदी और 55 हजार रुपए की नकदी नदारद मिली। पवन ने बताया कि चोरी की सूचना भीमगंज थाने को दी गई।

यूनियन बैंक Union Bank आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा:- 101-110, पहली मंजिल, अनुकम्पा टावर, चर्च रोड, जयपुर-302001 (राजस्थान) फोन नं. 0141-4047683

कब्जा नोटिस नियम-8 (1) (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर के प्राधिकृत अधिकारी, ... दिनांक 18.05.2021 ... रु. 60,05,235.52 ... [illegible] ... लिए यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एम.आई. रोड, जयपुर शाखा के प्रभार के अधीन होगा। ऋणियों को सावधान किया जाता है कि धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के संदर्भ में उपलब्ध समय में बंधक सम्पत्ति को मुक्त करवाने हेतु उनको निमंत्रण दिया जाता है।

प्रतिभूत आस्ति का विवरण

श्री गोवर्धन लाल व्यास पुत्र श्री बालकिशन व्यास के नाम से रिहायशी मकान जो व्यासों की गली, बिस्सो का चौक, जलप मोहल्ला, जोधपुर, राजस्थान, में स्थित, क्षेत्रफल:- 341.28 वर्गगज, सीमाएं- उत्तर: चौक, दक्षिण: भाभो की स्कूल, पूर्व: चाहूराम व रामचरण का मकान, पश्चिम: उमरावमल व सरदारमल का मकान

दिनांक: 16.01.2023 स्थान: जोधपुर प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

मां-बेटे की डूबने से मौत

भाई बोला-दोनों को मारकर टांके में डाला, बाइक की चेन और लाठियों से पीटा

बाड़मेर, 17 जनवरी (ब्यूरो) : जिला मुख्यालय पर साढ़े तीन साल के बच्चे और उसकी मां की पानी के टांके में डूबने से मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। ससुराल व पीहर वालों के सामने शव को टांके से बाहर निकाल गया। मंगलवार को दोनों के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।

विवाहिता के शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले हैं। विवाहिता के भाई ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने। फिर मारकर टांके में डालने की रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले की जांच बायतु डीएसपी कर रहे हैं। जानकारी अनुसार, झाक निवासी विवाहिता मोहनी (24) और उसके पति कृष्ण कुमार के बीच में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। रविवार को पति घर पर नहीं था। पति रात को घर पर पहुंचा तो पत्नी व बच्चा नहीं दिखे। टॉर्च की रोशनी में इधर-उधर देखा तो टांके पर पैरों के निशान मिले। टांके की तरफ देखा तो साढ़े तीन साल के तरुण का शव तैर रहा था। सोमवार को पुलिस व पीहर पक्ष को सूचना दी गई। पुलिस ने पीहर पक्ष के आने के बाद सोमवार को शाम को मृतका व बच्चे के शव को बाहर निकालकर गिड़ा मोर्चरी में रखवाया गया।

विवाहिता के भाई ने दी मारकर टांके में डालने की रिपोर्ट

परेऊ गिड़ा निवासी लक्ष्मण कमार पुत्र तिलाराम ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि बहन मोहनी की शादी 17 जुलाई 2018 को कृष्ण कुमार के साथ हुई थी।

शादी के समय मोहिनी को 70 ग्राम सोना व 30 ग्राम चांदी के गहने गिफ्ट दिए थे। इसके बाद से मोहनी के पति कृष्ण कुमार ने करीब 13 लाख 21 हजार रुपए उधार लिए थे। पति व ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करते थे। 11 जनवरी 2023 को बहन मोहनी के साथ कृष्ण, उसकी सास दमी, ससुर मुकनराम और बड़े ससुर खरथाराम ने बाइक की चैन और लाठियों से मारपीट की। बहन ने फोन करके मुझे बताया। फोटो भी भेजे। तब गांव के लोगों ने मिलकर समझाया भी था। 15 जनवरी की रात को बहन मोहनी व तरुण दोनों के मार कर टांके में डाल दिया। 16 जनवरी को हमें सूचना दी।

विवाहिता के शरीर पर चोट के निशान

विवाहिता व मासूम के शव को टांके से बाहर निकाला गया। वहीं, विवाहिता के के पीठ, पैरों व शरीर पर चोट के निशान हैं। पुलिस सभी एंगल से जांच में जुट गई है।

लूट की झूठी कहानी रचने वाला ज्वेलर गिरफ्तार

पाली, 17 जनवरी (ओम वैष्णव) : हथियार की नोंक पर लूट की वारदात की झूठी कहानी गढ़ने वाले ज्वेलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उसने ग्राहकों का सोना बेच दिया था। लोग जब परेशान करने लगे तो उसने झूठी कहानी बनाई। कोतवाली थाने एएसआई भल्लाराम विश्नोई ने बताया कि शहर के बड़ी ब्रह्मपुरी के बाहर सोने के आभूषण बनाने वाले इम्तियाज अली पुत्र मंसूर अली की दुकान है। वह सोने के गहने बनाता है। इम्तियाज ने रिपोर्ट दी थी कि रविवार रात करीब दो बजे दो युवक स्कूल लेकर आए और चाकू दिखाकर उससे 11 तोला सोना लेकर भाग गए और उसका मोबाइल तोड़ शटर बाहर से बंदकर चले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सामने आया कि आरोपी रोजाना रात 10 बजे दुकान बंद कर घर चला जाता है।

Form No. 14 [See Regulation 33(2)]
Notice Under Rule 2 of Second Schedule
To The Income Tax Act 1961
THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-JAIPUR
Room No. SFE/3/4, Nehru Place,
Tonk Road, Jaipur (Rajasthan)
Dispatch No. DRT/JP/75 Date: 05.01.23
Recovery Case No. 450/2019 Next Date: 15/02/2023
Punjab National Bank ...Certificate Holder
Versus
M/s Ocean Lime Industries & Others ...Certificate Debtor
DEMAND NOTICE

To, 1. M/s Ocean Lime Industries, Through its partners Shri Akbar Ali, Shri Nathmal Dadich & Shri Liyakat Ali Chhipa, Having office at: Village - Manakpur, Khasra no. 714/962, Tehsil- Mundwa, District - Nagour (Raj.) Pin No. 341001, Other Address : Near Tirupati Balaji Temple, Railway Station Road, Pipar City, Jodhpur (Raj.) Pin No. 342001, 2. Shri Akbar Ali S/o Shri Anwar Ali, partner M/s Ocean Lime Industries, R/o Ward no. 4-5, Railway Station Road, Near Tirupati Temple, Pipar City, District -Jodhpur (Raj.), 3. Shri Nathmal Dadich S/o Shri Jethmal Dadich, partner M/s Ocean Lime Industries, R/o Ward no.9, Subash Colony, Nayapura, Pipar City, Jodhpur, Other Address: Near Mount Camel School, Silari Road, Pipar City, Jodhpur (Raj.). 4. Shri Liyakat Ali S/o Shri Mohd. Ibrahim Chhipa, partner M/s Ocean Lime Industries, R/o Chhipa Ka Bas, Near Meerabai Temple, ward no.7, Pipar City, Jodhpur (Raj.)

In view of the Recovery Certificate issued in O.A. No. 223/2017 passed by the Presiding Officer, DRT, Jaipur for an amount of Rs. 59,78,722.64 (Fifty Nine Lacs Seventy Eight Thousand Seven Hundred Twenty Two and Paisa Sixty Four Only) and interest thereon, along with cost imposed on the defendants, as per Recovery Certificate is due against you.

1. You are hereby called upon to deposit the above sum within 15 days of receipt of the notice, failing which the recovery shall be made as per rules.
2. You are, hereby ordered to appear before the undersigned on 15/02/2023 at 11.00 A.M.
3. In addition to the sum aforesaid you will be liable to pay: (a) Such interest as is payable from dated 17.12.2019 and for the period commencing immediately after this notice of the execution proceedings. (b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and of warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

DETAILS OF AMOUNT MENTIONED IN THE RECOVERY CERTIFICATE DUE AGAINST YOU

1. Certificate Dues:	Rs. 68,99,227.36
2. Cost of Suit :	Rs. 72,580/-
3. Interest from 14.06.2017 to 16.12.2019 :	Rs. 12,29,604.78
4. Any amount received after issue of Recovery Certificate:	Rs. 22,16,689/-
5. Total Dues :	Rs.59,78,722.64

Seal
Recovery Officer-II
Debt Recovery Tribunal, Jaipur

प्रारूप- ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के तहत)
आदर्श इन्फ्रामैक्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु

प्रासंगिक विवरण

1	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	आदर्श इन्फ्रामैक्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
2	कॉर्पोरेट ऋणी के निगमन की तारीख	15-06-2016
3	वह प्राधिकरण जिसके तहत कॉरपोरेट ऋणी निगमित/पंजीकृत है	आर ओ सी, जयपुर
4	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U70200RJ2016PTC055239
5	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय व मुख्य कार्यालय (यदि कोई है तो) का पता	698, विजय पथ, तेजी नगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर-302019, राजस्थान। मीडोज विलाज, खसरा नं. 811, 952, 957, 958, 959, 959/1493, गांव- लोहागढ़, जिला अजमेर (राज.) 305004
6	कॉर्पोरेट ऋणी के संदर्भ में दिवालिया समाधान प्रक्रिया होने की तारीख	13-01-2023 (एनसीएलटी के पोर्टल पर दिनांक 17.01.2023 को आदेश अपलोड हुआ)
7	दिवालिया समाधान प्रक्रिया की समाप्ति की अनुमानित तारीख	12-07-2023
8	दिवालियापन पेशेवर का अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नाम एवं पंजीकरण संख्या	विकास राजवंशी पंजीकृत संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P01886-C01/2016-2017/10032 एएफए संख्या: AA1/10032/02/240623/104364, दिनांक 24-06-2023 तक मान्य
9	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता व ई-मेल, जो बोर्ड के साथ पंजीकृत है	पता- एच-15, चितरंजन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान- 302001 ई-मेल- vikasrajvanshi.jaipur@gmail.com
10	अंतरिम समाधान पेशेवर से पत्राचार के उपयोग के लिए काम में लिया जाने वाला पता व ई-मेल	पता- एच-15, चितरंजन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान- 302001 ई-मेल- cirp.aadarshinfra8@gmail.com
11	दावों के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख	31 जनवरी, 2023
12	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उपधारा (6ए) के खण्ड (बी) के तहत लेनदारों की श्रेणी यदि कोई हो तो,	श्रेणी(ओं) का नाम: लागू नहीं
13	एक श्रेणी में दिवालियापन पेशेवरों के नाम जो लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14	(ए) प्रासंगिक प्रारूप और (बी) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है-	(ए) वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (बी) लागू नहीं।

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, जयपुर बेंच ने दिनांक 13.01.2023 को आदर्श इन्फ्रामैक्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने का आदेश दिया है।
आदर्श इन्फ्रामैक्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों को मद संख्या 10 में उल्लेखित पते पर दिनांक 31.01.2023 को या इससे पूर्व अंतरिम समाधान पेशेवर के समक्ष उनके दावें प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है।
वित्तीय लेनदार अपने दावों के साक्ष्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ही जमा करवा सकेंगे। सभी अन्य लेनदार अपने दावों के साक्ष्य व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जमा करवा सकेंगे।
एक श्रेणी से संबंधित एक वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध है, Form CA में वर्ग (श्रेणी में वित्तीय लेनदार) के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के खिलाफ सूचीबद्ध तीन दिवाला पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा।
दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाणों के प्रस्तुतीकरण होने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।
हस्ता./-
विकास राजवंशी,
(अंतरिम समाधान पेशेवर)
आदर्श इन्फ्रामैक्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
दिनांक : 17.01.2023
स्थान : जयपुर

सड़क हादसों में दो की मौत

जोधपुर, 17 जनवरी (ब्यूरो) : अलग-अलग सड़क हादसों में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक अधेड़ और एक युवक की मौत हो गई। खेड़ापा थाने में दी रिपोर्ट में नांदिया कला निवासी भीखाराम मेघवाल ने पुलिस को बताया कि हरढाणी के पास जा रहे उसके पिता मोटाराम को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को बताया कि जुनेजो की ढाणी लोर्डिया के पास अज्ञात वाहन ने उसके भाई को टक्कर मारकर घायल कर दिया।

निजी स्कूल की मनमानी... हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा को भटक रहे नौनिहाल

■ पीड़ित अभिभावकों की आंदोलन की चेतावनी

जोधपुर, 17 जनवरी (ब्यूरो) : शास्त्रीनगर क्षेत्र स्थित एक निजी विद्यालय प्रशासन की ओर से गत वर्ष एक अक्टूबर को 13 बच्चों की अकारण टीसी काट देने के प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें वापस एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। स्कूल प्रशासन की ओर से अपने नियमों से ही प्रवेश देने और आगे नहीं पढ़ाने के एकतरफा आदेश से परेशान बच्चों के अभिभावक अब आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। पीड़ित बच्चों के अभिभवाक प्रकाश मेघवाल, उमेश पारीक, दिलीप जोशी, टीनाक टाक, विमला लीलावत और प्रेमलता ने बताया कि बाल मंदिर पब्लिक स्कूल ने गत एक अक्टूबर को 13 बच्चों की अकारण टीसी काट दी और उसमें 22 सितम्बर की तारीख दर्ज कर दी, जबकि एक अक्टूबर तक बच्चे स्कूल गए थे। उन्होंने बताया कि टीसी काटते समय स्कूल प्रिंसिपल ने कुछ बच्चों के साथ मारपीट की और जातिगत शब्दों से अपमानित किया, जिसकी शिकायत अभिभावकों ने बाल कल्याण समिति न्यायपीठ में की थी। इस प्रकरण को लेकर अभिभावकों ने पहले तो स्कूल प्रशासन और संचालन समिति के सदस्यों के सामने अपने पीड़ा रखी, लेकिन वहां न्याय नहीं मिला तो उन्होंने शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और सरकार को भी शिकायत दी। स्कूल प्रशासन ने राज्य सरकार के आदेशों को भी नहीं माना और हठधर्मिता बनाए रखी। इस पर निष्कासित कुछ बच्चों के पैरेंटस के खिलाफ स्कूल प्रशासन ने कानूनी कार्यवाही की तब कुछ अभिभवाकों ने डरकर माफीनामा और उनकी शर्तें मान ली, लेकिन उनका विरोध करने वाले अभिभवाकों के बच्चों को स्कूल में भर्ती नहीं किया। हाईकोर्ट में जाने पर आदेश से फीस ले ली, लेकिन फिर भी स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं माने। अब बच्चों की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं हो गई हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य अधर में है। पीड़ित अभिभवाकों ने बताया कि अगर स्कूल प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में बच्चों को एडमिशन देकर परीक्षाएं नहीं दिलवाईं तो वे आंदोलन करने के साथ हाईकोर्ट में स्कूल प्रशासन के खिलाफ वाद दायर करेंगे।

सिंगर कनिका कपूर भी पहुंची जोधपुर

जोधपुर, 17 जनवरी (ब्यूरो) : बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर मंगलवार को जोधपुर पहुंचीं। इंडिगो मुंबई की फ्लाइट से जोधपुर आई कनिका ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। अपनी परफॉर्म को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रोज धमाल मचाने की रहती है। जोधपुर शहर बहुत ही खूबसूरत है। इस दौरान राजस्थान को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि उन्हें राजस्थान में बसने की चाहत है। पूरी दुनिया में उनका सबसे फेवरेट स्टेट राजस्थान है। इसलिए यहां बस जाना चाहती हूं, लेकिन यह सपना कब पूरा होगा, पता नहीं। उन्होंने 2023 में अपने आगामी प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि इस साल उनके कई एल्बम लॉन्च होने वाले हैं। जो फैंस को काफी पसंद आएंगे।

जयंती महोत्सव 4 को

शाहपुरा, 17 जनवरी (भैरूलाल लक्षकार) : अन्तरराष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु श्रीरामचरणजी महाराज का 303वां जन्म जयंती महोत्सव 26 जनवरी से 4 फरवरी तक श्रीरामद्वारा धाम में मनाई जाएगी। विजयवर्गीय वैश्य संस्थान के अध्यक्ष विजय मेड़तिया ने बताया कि विजयवर्गीय भवन से 4 फरवरी को प्रात 9 बजे से शोभायात्रा रामद्वारा पहुंचेगी।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
क्रमांक: न.नि.अ./एम.बी.-/22-23/2414 दिनांक: 16/1/23
आपत्ति सूचना
श्रीमती रश्मि चौधरी पत्नी श्री सुबे सिंह चौधरी निवासी छोटा सिलावट मौहल्ला अजमेर द्वारा एक सम्पति भूखण्ड/सम्पति संख्या 01 जो सम्पति ए.एम.सी. नं. 299बी/45 का एक भाग है जो खसरा नं. 1263 का भाग है जो वाकै थोक तेलियान पंचौली चौराहा पुष्कर रोड, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 43.22 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार हैं।
पूर्व:- रास्ता आम पुष्कर रोड पश्चिम:-प्राईवेट सम्पति
उत्तर:- शेष भाग भूखण्ड संख्या 02 दक्षिण:-खत्री बगीची है।
अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
ह./-
उपायुक्त
नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
क्रमांक: न.नि.अ./एम.बी.-/22-23/2412 दिनांक: 16/1/2023
आपत्ति सूचना
श्री राम भाउ पुत्र श्री गोविन्द राव निवासी गुरूनानक स्कूल रोड स्वर्पनिक जनरल स्टोर के पास गोविन्द पुरम जी ब्लॉक अजमेर द्वारा एक भूखण्ड / सम्पति संख्या 45 का भाग बी जो खसरा नम्बर 2321 का एक भाग है जो वाकै माकडवाली गांव रोड थोक तेलियान अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 83.64 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार हैं।
पूर्व:- 30 फुट चौड़ा रोड गोमा का हट्टा पश्चिम:-अन्य भूखण्ड
उत्तर:- भूखण्ड संख्या सी दक्षिण:-भूखण्ड संख्या ए
अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
ह./-
उपायुक्त
नगर निगम, अजमेर

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
शाखा कार्यालय: किशनगढ़, अजमेर (451100)
ई-मेल: bo4511@pnb.co.in मो. 8003897856
मांग सूचना
सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना नोटिस

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार को "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। उक्त नोटिस के अनुसार यदि ऋणीयों को 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराते है तो ऋण की वसूली बंधक संपत्ति को नीलामी करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामिल न होने के कारण आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रुपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा करायें अन्यथा उक्त एक्ट की धारा 13(4) एवं धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूची के अनुसार साम्यिक बंधक संपत्ति का कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि वसूली करने के लिए बैंक प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

क्र. सं.	ऋणी / जमानतदार का नाम और पता / खाता संख्या	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण	डिमाण्ड नोटिस की तिथि	बकाया राशि
1.	श्री इकरामुद्दीन पठान पुत्र श्री निजामुद्दीन पठान (ऋणी एवं बंधककर्ता) पता: वार्ड नंबर 6, ख्वाजा कॉलोनी, भिस्ती मोहल्ला, गांधी नगर, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान) -305801 श्रीमती तस्लीम खानम पत्नी श्री इकरामुद्दीन पठान (सह-ऋणी) पता: वार्ड नंबर 6, ख्वाजा कॉलोनी, भिस्ती मोहल्ला, गांधी नगर, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान) -305801 श्री इकरामुद्दीन पठान पुत्र श्री निजामुद्दीन पठान (ऋणी एवं बंधककर्ता) पता: प्लॉट नंबर 02, ख्वाजा कॉलोनी, गांधी नगर, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान) -305801, श्रीमती तस्लीम खानम पत्नी श्री इकरामुद्दीन पठान (सह-ऋणी) पता: प्लॉट नंबर 02, ख्वाजा कॉलोनी, गांधी नगर, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान) -305801 खाता संख्या 4511009900000942 & 451100NC00001557	श्री इकरामुद्दीन पठान पुत्र श्री निजामुद्दीन पठान के नाम से साम्यिक बंधक रिहायशी मकान जो प्लॉट नं. 02, ख्वाजा कॉलोनी, गांधी नगर, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान) (राज.)-305801 में स्थित है क्षेत्रफल लगभग 138.88 वर्गगज, सीमाएं- पूर्व: प्लॉट नं. 01, पश्चिम: प्लॉट नं. 03, उत्तर: प्लॉट नं. 21, दक्षिण: 30 फिट चौड़ी रोड।	16.11.2022 एनपीए की तिथि 25.10.2022	रु. 3016259.21 दिनांक 31.10.2022 तक + आगे का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त

ऋणियों को आगे सलाह दी जाती है कि (1) वे संबंधित शाखा कार्यालय से उक्त मांग नोटिस प्राप्त कर लेवें। (2) वे नोटिस अवधि उपरोक्तानुसार मांग राशि देय ब्याज सहित बैंक में जमा करवा दें अन्यथा उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आगे कार्यवाही की जावेगी।
भवदीय,
दिनांक: 18.01.2023, स्थान: किशनगढ़, अजमेर वास्ते पंजाब नैशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति -''विशिष्ट श्रेणी'' केकडी
क्रमांक : प.()कृ.उ.म.स.-केकडी / लेखा / 2022-23 / 1441-1451 दिनांक :12.01.2023
खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रण सूचना-01
कृषि उपज मण्डी समिति केकडी में विद्युत सामग्री क्रय की जाने हेतु विनिर्माताओं / थोक विक्रताओं / वितरकों एवं अधिकृत डीलरों से खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से दर संविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित लागत (लाखो में)	निविदा प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा फार्म विक्रय करने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विद्युत सामग्री (स्ट्रीट लाईट LED,फ्लड लाईट, सर्विस केबल बंडल, मल्टीस्टेड वायर, फिटिंग वायर, हाईमास्क टावर फल्ड लाईट आदि) मैक एवं सामग्री का विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र मे दिया हुआ है।	2.50	200+18% GST=236	5000.00	12.01.2023 को 03.00 pm से 19.01.2023 सायं 06.00 pm तक	20.01.2023 को 12.00 pm तक	20.01.2023 को 2.00 pm तक

NIB code DAM2223A0531
UBN - DAM2223GSRC00815
बोली प्रपत्र व शर्तो का अवलोकन कार्यालय लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in व विभागीय पोर्टल http://agriculture.rajasthan.gov.in/mandi पर किया जा सकता है। तथा वेबसाइट से बोली प्रपत्र डाउनलोड कर प्रपत्र का मूल्य व प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो कि कृषि उपज मण्डी समिति केकडी के नाम से हो कॉलम संख्या 7 में वर्णित सहित निर्धारित दिनांक व समय तक कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
राज.संवाद / सी / 22 / 13328 प्रशासक सचिव

मकानों में दरार आने से दहशत

पाली, 17 जनवरी (ओम वैष्णव) : भैरूघाट क्षेत्र के आसपास मकानों में दरार आने से दहशत का माहौल हो है। देवजी का बास, शाहाजी का चौक, धाचीयो का बास, पिंजारो का बास, लोढ़ो का बास में 50 अधिक मकानों की दीवारों व छतों में दरारें आने के साथ फर्श भी दरकने लगी है। इन क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक ऐसे मकान हैं जो जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। डर के साये में भयभीत स्थानीय लोग घर छोड़ने लगे हैं।

उपखंड मजिस्ट्रेट व नगर परिषद ने संभावित दुर्घटना को देखते हुए 6 मकानों के मालिकों को मकान खाली करने की हिदायत दी है। बहरहाल, नगर परिषद की ओर से बैरिकेड करवाकर संबंधित क्षेत्र में आवाजाही बंद कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की लाइन व सीवरेज लाइन बिछाने के बाद लिंकेज की समस्या के चलते मकानों में दरार आई है। इस समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत करा दिया गया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया और समस्या बढ़ गई। पार्षद राधेश्याम चौहान, विकास बुबकिया का कहना है कि प्रशासन को प्रभावित इलाकों का तुरंत सर्वे कराया जाए अन्यथा क्षतिग्रस्त मकानों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पाली शहर का सबसे ऊपरी आबाद क्षेत्र भैरूघाट के निकट स्थित मोहल्ले में पानी रिसाव के कारण मकानों में दरारें आने से जमीन धंसने लगी है।

डिग्गी में मकानों में दरार, एसडीएम से शिकायत की

टोंक 17 जनवरी (भगवान सहाय शर्मा) : जिले के मालपुरा उपखंड के ग्राम डिग्गी के वार्ड नंबर 12 में अज्ञात कारणों में मकानों में लगातार दरारें आ रही हैं, जिससे लोग दहशत में जी रहे हैं। लोगों की मांग के बाद जांच में सामने आया कि पानी टैंकरों और पानी पाइप लाइन में भी कोई फॉल्ट नहीं है। ऐसे में लोगों ने एसडीएम से मिलकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई है और इस संबंध में उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान वार्ड पंच गणेश नारायण खारोल, बद्रीलाल सहित अन्य लोगों ने एसडीएम को बताया कि मकानों में धीरे-धीरे दरार बढ़ती जा रही है। पिछले 15 दिन से मकानों में दरारें लगातार बढ़ती जा रही है। जिसमें बदी माली, गणेश खाती, छीतर खारोल, पप्पू बाबर के मकान सहित कुम्हार समाज धर्मशाला बढ़ती दरारों से क्षतिग्रस्त हो रही है। परिवार दहशत के माहौल में है, मकान रहने लायक नहीं रहे हैं। लोगों ने एसडीएम से समस्या का समाधान कर सुरक्षा करने की मांग की है। इस मौके पर एसडीएम ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मौका मुआयना करने के निर्देश दिए गए।

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
शाखा- सुभाष नगर, भीलवाड़ा मो. 7726854728 ई-मेल: SNBBHL@barodarajasthanrrb.co.in
परिशिष्ट-IVक {नियम 8(6) का परन्तुक देखें}
अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
प्रतिभूत हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले, गिरवी रखने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे दिये गये खाते में बकाया की वसूली के लिए "जहां है, जैसी है, और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जायेगा। प्रत्याभूति-दाता का विवरण, गिरवी रखने वाले, गारन्टर, सुरक्षित सम्पति, बकाया, आरक्षित मूल्य, ई-नीलामी की दिनांक एवं समय, अग्रिम धनराशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्न तालिका अनुसार होगा।

ऋणीयों, गिरवी रखने वाले एवं गारन्टरों के नाम एवं पते	श्री अमित कुमार शर्मा (ऋणी) 1- सी-335, गोपाल डेयरी, नेहरू मार्ग, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) 2- प्लाट सं. 09, आराजी सं. 109, ओम नगर, राजस्व ग्राम, हलेड़, तह. भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.) श्रीमति पूजा शर्मा पत्नी श्री अमित कुमार शर्मा (सहऋणी) 1- सी-335, गोपाल डेयरी, नेहरू मार्ग, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) 2- प्लाट स . 09, आराजी स . 109, ओम नगर, राजस्व ग्राम, हलेड़, तह. भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
बकाया :-	डिमाण्ड नोटिस दिनांक व राशि:- 01 / 09 / 2022, रूपये 8,56,310.81 / - दिनांक 29 / 08 / 2022 तक ब्याज शामिल करते हुए वर्तमान बकाया राशि- रू. 8,56,310.81 / - दिनांक 29 / 08 / 2022 तक बकाया+ लागत, शुल्क, व अन्य खर्चे इत्यादि

कब्जे की स्थिति:- प्रतीकात्मक कब्जा
सम्पत्ति के निरीक्षण का दिनांक व समय: - 15.02.2023, 12.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक

ज्ञात ऋण भार सहित अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा, यदि कोई हो -	आरक्षित मूल्य, अग्रिम धनराशि, बोली वृद्धि राशि	ई- नीलामी की दिनांक एवं समय
श्रीमती पूजा शर्मा पत्नि श्री अमित कुमार शर्मा की आवासीय सम्पत्ति प्लाट नं. 09, आराजी नं. 109, ओम नगर, राजस्व ग्राम, हलेड़, तह. भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.) में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 720 वर्गफीट चतुर्थ सीमाएं- पूर्व में: रोड, पश्चिम में: अन्य आराजी, उत्तर में: प्लाट नं. 08, दक्षिण में: प्लाट न . 10 ऋण भार:- ज्ञात नहीं	आरक्षित मूल्य रू. 16,57,600/- अग्रिम धनराशि रू. 1,65,760/- बोली वृद्धि राशि रू. 10,000/-	24/02/2023 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक (प्रत्येक 10 मिनट की असीमित समयावृद्धि के साथ)

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वैबसाईट अर्थात् https://WWW.brkgb.com तथा https://WWW.bankeauctions.com, इसके अलावा, सम्भावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा- सुभाष नगर, भीलवाड़ा (राज.) से मो. नं. 7726854728 पर सम्पर्क कर सकते है।
प्राधिकृत अधिकारी,
तारीख: 16.01.2023 स्थान: भीलवाड़ा (राज.) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
शाखा- सुभाष नगर, भीलवाड़ा (राजस्थान) दूरभाष संख्या 7726854728, ई-मेल- SNBBHL@barodarajasthanrrb.co.in
परशिष्ट-IVक {नियम 8(6) का परन्तुक देखें}
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
प्रतिभूत हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे दिये गये खाते में बकाया की वसूली के लिए "जहां है, जैसी है, और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जायेगा। प्रत्याभूति-दाता का विवरण, गिरवी रखने वाले, गारन्टर, सुरक्षित सम्पत्ति, बकाया, आरक्षित मूल्य, ई-नीलामी की दिनांक एवं समय, अग्रिम धनराशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्न तालिका अनुसार होगा।

ऋणीयों , गिरवी रखने वाले एवं गारन्टरों के नाम एवं पते	(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री देवा लाल (ऋणी) गांव कालियास, पोस्ट आमलीगढ़, तह0 हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज.), (2) श्री देवा लाल गुर्जर पुत्र श्री भूरा लाल (सहऋणी) गांव कालियास, पोस्ट आमलीगढ़, तह0 हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज.), (3) श्री सूरत राम गुर्जर पुत्र श्री नाना गुर्जर (गारन्टर) ग्राम पागना का खेड़ा, पोस्ट मंगरोप, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.), (4) श्री भैरू लाल पुत्र श्री धीसा गुर्जर (गारन्टर) ग्राम आमा, कलियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राज0)
बकाया:	डिमाण्ड नोटिस दिनांक व राशि :- 01 / 09 / 2022, रूपये 6,47,961.38 / -दिनांक 29 / 08 / 2022 तक ब्याज शामिल करते हुए वर्तमान बकाया राशि :- रु. 6,47,961.38 / -दिनांक 29 / 08 / 2022 तक बकाया + लागत, शुल्क, व अन्य खर्चे इत्यादि

कब्जे की स्थिति : - प्रतीकात्मक कब्जा
धरोहर राशि जमा करवाने की अन्तिम दिनांक 23.02.2023 समय सायं 4:00 तक
सम्पत्ति के निरीक्षण का दिनांक व समय : - 15.02.2023, 12.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक

ज्ञात ऋण भार सहित अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा, यदि कोई हो -	आरक्षित मूल्य, अग्रिम धनराशि बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
श्री देवा लाल पुत्र श्री भूरा लाल गुर्जर की आवासीय सम्पत्ति श्रीराम नगर गुवारड़ी, ग्राम पंचायत स्वरूपगंज, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा (राज.) में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1755 वर्गफीट चतुर्थ सीमाएं:- पूर्व में श्री श्याम लाल पुत्र श्री किशन नायक की सम्पत्ति, पश्चिम में श्री मथुरा दास पुत्र श्री मदन दास वैष्णव की सम्पत्ति, उत्तर में रास्ता, दक्षिण में श्री पन्ना लाल कुम्हार की सम्पत्ति ऋण भार:- ज्ञात नहीं	आरक्षित मूल्य रू. 13,34,792 /- धरोहर राशि रू.1,33,480/- बोली वृद्धि राशि रू. 10,000/-	दिनांक 24.02.2023 दोपहर 12:00 बजे से 04:00 बजे तक (प्रत्येक 10 मिनट की असीमित समयावृद्धि के साथ)

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाईट अर्थात् https://www.brkgb.com तथा https://www.bankeauctions.com, इसके अलावा, सम्भावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा-सुभाष नगर, भीलवाड़ा (राज.) से मो. नं. 7726854728 पर सम्पर्क कर सकते है।
प्राधिकृत अधिकारी
तारीख : 16 / 01 / 2023 स्थान : भीलवाड़ा (राज.) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक